प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 77/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Daya Nand Sharma Add: 5KA-28, Shivaji Park, Alwar, Raj.

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी(शहर), उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 10/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329236013757022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। वांछित सूचना जिला कलक्टर कार्यालय के संस्थापन शाखा से संबंधित है जिसे अनावश्यक रूप से कोष कार्यालय में अंतरित करने देने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2510302103 दिनांक 16.05.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/77/25/483–84 दिनांक 16.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी(शहर), उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक एफ()कोष/आरटीआई/2025/432 दिनांक 21.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा 07.04.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रस्तुत आवेदन इस कार्यालय में ऑनलाईन दिनांक 08.04.2025 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन से कोषालय में निजी सहायक संवर्ग (स्टेनो/शीघ्र लिपिक) के पदों की संख्या एवं कार्मिक के पदस्थापन आदेश की प्रति चाही गई थी। वांछित सूचना प्रार्थी को पत्रांक 292 दिनांक 16.04.2025 से एवं ऑनलाईन दिनांक 17.04.2025 को निर्धारित समयावधि में प्रेषित की गई। निवेदन है कि अपीलार्थी की कोषालय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी(शहर), उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जरिये पत्रांक 292 दिनांक 16.04.2025 से एवं ऑनलाईन दिनांक 17.04.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी(शहर), उदयपुर को अनावश्यक रूप से अंतरित कर

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

दिया गया। अपीलार्थी द्वारा कोष कार्यालय में निजी सहायक संवर्ग (स्टेनो/शीघ्र लिपिक) के स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्मिक के पदस्थापन आदेश की प्रति चाही गई थी, जिसे सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी(शहर), उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जा चुका है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी(शहर), उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की ज़ाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारन के साथ–साथ कोषाधिकारी (ग्रामीण) को भी इस आशय से प्रेषित की जाये कि कोष कार्यालय (ग्रामीण) में निजी सहायक संवर्ग (स्टेनो/शीघ्र लिपिक) के स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्मिक के पदस्थापन आदेश के संबंध में सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर